

अनुसूची द्वितीय  
खण्ड 3 (2)  
आवेदन फार्म

1. पितृत्व के साथ आवेदक का नाम -----
2. फार्म का नाम -----
3. पूरा पता -----
4. जिस सीजन के लिए लाइसेंस या लाइसेंस का नवीकरण किया जाना है -----
5. कोल्डू या बेल जहा स्थापित करना प्रस्तावित या इस्तेमाल किया जाना है।  
उस जगह का नाम शहर या गांव और तहसील सहित चार दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की जानकारी -----
6. बिजली कोल्डू या bels की संख्या व पिराई की दैनिक क्षमता जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता है.

शक्ति कोल्डू के प्रकार आकार प्रतिदिन गन्ना पिराई क्षमता क्विंटल में  
हाइड्रोलिक (Sulphitation)

गैर हाइड्रोलिक (Sulphitation)

साधारण:

7. नवीकरण के मामले में पिछले लाइसेंस की संख्या और तारीख -----
8. क्या आवेदक ने पूर्ववर्ती वर्ष में शक्ति कोल्डू और bels स्थापित की है। इस के अंतर्गत संख्या का उल्लेख करें:

शक्ति कोल्डू/ बेल	पिछले वर्ष के दौरान गन्ने की पिराई की मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान खाण्डसारी चीनी की मात्रा
-------------------	--	--

9. क्या आवेदक निर्धारित दर पर लाइसेंस शुल्क सरकार खजाना -----
10. निम्नलिखित विवरण देते हैं:

ट्रेजरी चालान सं ----- तिथि -----

और दूसरी प्रति साथ संलग्न हैं.

आवेदक के हस्ताक्षर

मैंने/ हमने ----- हरियाणा गुड निर्माताओं लाइसेंसिंग आदेश, 1972 के प्रावधान पढ़ लिए हैं, और समझते हैं कि आदेश के प्रावधानों की शर्तों पर मुझे/ हमें यह लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस की शर्तों की उल्लंघना "आदेश" की उल्लंघना मानी जाएगी।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मेरी / हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर उपरोक्त जानकारी सही है और पूरी है।

स्थान:  
दिनांकित

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची द्वितीय

केन्द्रापसारक को स्थापित करने व इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस व लाइसेंस के नवीनकरण हेतु प्रार्थना प्रपत्र ।

1. पितृत्व के साथ आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
2. फर्म का नाम: \_\_\_\_\_
3. पूरा पता: \_\_\_\_\_
4. जिस सीजन के लिए लाइसेंस या लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया है: \_\_\_\_\_
5. उस परिसर या शहर या गांव के नाम के साथ तहसील का नाम जहां कोल्डू को स्थापित या इस्तेमाल किया जाना है \_\_\_\_\_
6. प्रतिदिन की क्षमता सहित केन्द्र प्रसारकों की 0000संख्या जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तथा क्या ये शक्ति चालित हैं या हस्त चालित ।

केन्द्रापसारक की प्रकार	आकार	खाण्डसारी चीनी प्रतिदिन निर्माण की क्षमता क्विंटल में
शक्ति चालित		
हस्त चालित		

(शक्ति चालित व हस्त चालित केन्द्रापसारक की संख्या को अलग से निर्दिष्ट करें)

7. नवीकरण के मामले में पिछले लाइसेंस की संख्या और तारीख \_\_\_\_\_
8. क्या आवेदक ने पिछले वर्ष में केन्द्रापसारक की स्थापना की है । इस मद के अंतर्गत प्रदत्त कॉलम में संख्या का उल्लेख करें ।

केन्द्रापसारक की प्रकार	निर्माण की गई खांडसारी चीनी की मात्रा क्विंटल में	गन्ने से चीनी की प्राप्ति प्रतिशत में	सीरे की मात्रा क्विंटल में
शक्ति चालित			
हस्त चालित			

9. क्या आवेदक में निर्धारित दर पर लाइसेंस शुल्क जमा सरकार खजाना \_\_\_\_\_

प्ररूप III  
[ देखिए नियम (8) ]  
एजेंट के नाम निर्देशन की सूचना

मै/हम \_\_\_\_\_ एतद्वारा यह सूचना देता हूँ/बैते हूँ कि मैंने/हमने \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ सुपुत्र \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ सुपुत्र \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ सुपुत्र \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

तहसील \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_ को पंजाब गन्ना (क्रय एवं  
सप्लाई विनियमन) अधिनियम, 1953 के प्रयोजन हेतु गन्ना कारखाने, अर्थात् \_\_\_\_\_ का \_\_\_\_\_ से  
\_\_\_\_\_ तक एजेंट का कार्य करने हेतु नाम निर्दिष्ट किया है और उसने/उन्होंने ऐसा  
सामांजन स्वीकार कर लिया है/लिये हैं और उसके संकेत में नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं। अर्पणित राशि की रसीद  
साथ संलग्न की जाती है।

अभिभावता,  
एजेंट/एजेंटों के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
साथी/साथियों के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

प्रारूप - IX  
(देखिए नियम 13)

कारखाना के क्रय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये या हरियाणा राज्य के भीतर गन्ने की खरीद के लिये किसी कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में कोई भी कार्य करने के लिये किसी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र \_\_\_\_\_ का निवासी \_\_\_\_\_ के कारखाना के उपभोक्ता द्वारा क्रय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये या कारखाने के अधिभोक्ता की ओर से \_\_\_\_\_ क्रय केंद्र पर गन्ने की खरीद के लिये किसी कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में कोई कार्य करने के लिये नाम निर्दिष्ट किये जाने पर, इसके द्वारा पंजाब गन्ना (खरीद तथा सप्लाई) विधिम 1953, के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र देता हूँ।

मैं, इसके द्वारा, अनुज्ञप्ति के निबन्धन तथा शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

Sugarland

अनुसूची द्वितीय  
आवेदन फार्म  
[खण्ड 3 (27)]

गुड के निर्माता के लिए एक शक्ति कोल्डू स्थापित करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण के अनुदान के लिए आवेदन के फार्म.

1. आवेदक का नाम. \_\_\_\_\_
2. पितृत्व / फर्म का नाम . \_\_\_\_\_
3. पूरा पता  
गांव: \_\_\_\_\_  
डाकघर: \_\_\_\_\_  
थाना: \_\_\_\_\_  
तहसील: \_\_\_\_\_  
जिला: \_\_\_\_\_
4. गुड निर्माण के लिए पिराई की जाने वाली मात्रा क्विंटल में \_\_\_\_\_
- 5 जिस सीजन के लिए लाइसेंस या लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया है \_\_\_\_\_
6. उस परिसर या शहर या गांव के साथ तहसील का नाम जहां कोल्डू को स्थापित या इस्तेमाल किया जाना है \_\_\_\_\_
7. जिस केशर को लाइसेंस दिया जाना है उन केशरों की संख्या, आकार और प्रतिदिन पिराई की क्षमता \_\_\_\_\_
8. नवीकरण के मामले में पिछले लाइसेंस की संख्या व तिथि \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

मैंने/ हमने \_\_\_\_\_ हरियाणा गुड निर्माताओं लाइसेंसिंग आदेश, 1972 के प्रावधान पढ़ लिए हैं, और समझते हैं कि आदेश के प्रावधानों की शर्तों पर मुझे/हमें यह लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस की शर्तों की उल्लंघना "आदेश" की उल्लंघना मानी जाएगी।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मेरी / हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर उपरोक्त जानकारी सही है और पूरी है।

स्थान:  
दिनांकित:

आवेदक के हस्ताक्षर